फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

कालुसिह बनाम **कल्याणसिह**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 33 सन–2019

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम का तामील मे जारी हुए
25.03.2019	प्रार्थी की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तिथि तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 इस आश्य की जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी रोही मौजा चक 6 केएनएएन के खाता संख्या 97/139 के कुल किता 71 की कुल 17.4500हैक्ट में से 1.515हैक्ट भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारिंत तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जावे व उक्त आदेश जारी होने के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थी अभिभाषक आवश्यक तौर पर पेश करे पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 10.05.2019 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
10/5/19	वकील वादी उपस्थित वकील सायल ने तो सायलान को तलबी हेतु रजि. सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दि० 11.7.19 को पेश हो।	

Scanned with CamScanner

19/6/2019 वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं उपस्थित हैं। उभयपक्ष निवेदन करने पर पत्रावली पेश की गई। वकील प्रार्थी / प्रार्थी ने निवेदन किया कि वह अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहता, अतः खारिज अदमपैरवी किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

[illegible] (राजस्व)

[illegible]